

पत्रांक:- 91  
सेवा में,

/22 बजट (एन0पी0वी0)/2018-19

दिनांक:- 17.05.2018

✓ मुख्य अभियन्ता स्तर- I/स्तर- II,  
क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून/नई टिहरी/पौड़ी/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/हल्द्वानी।  
विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक-5054 (पूँजीगत) मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष एन0पी0वी0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा पथ वृक्षारोपण आदि की देय धनराशि के भुगतान हेतु आवंटन।

सन्दर्भ:- शासनादेश संख्या-1502/111 (2)/18-02 (बजट)/2018 दिनांक-09.04.2018

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या 22, लेखाशीर्षक 505404337030424 (पूँजीगत) सड़कों तथा सेतुओं के एन0पी0वी0 भुगतान मद में ₹ 40.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। शासन द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार से वनभूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में फील्ड अधिकारियों द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा पथ वृक्षारोपण आदि के भुगतान हेतु इस कार्यालय को सूचित घनावंटन की माँग के कम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्बन्धित कार्यदायी खण्डों को संलग्न सूचीनुसार, मार्गवार/खण्डवार (45 प्रकरण) कुल ₹ 14.6230148 करोड़ (₹ चौदह करोड़ बासठ लाख तीस हजार एक सौ अड़तालीस मात्र) की धनराशि निम्नवर्णित शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

आवंटन की शर्त:- (1) संलग्न सूची में वर्णित कार्यों की एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा पथ वृक्षारोपण हेतु आवंटित धनराशि का नियमानुसार भुगतान वनविभाग से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा वर्तमान में निहित ऑनलाईन प्रक्रिया/चालान माध्यम से यथाप्रक्रियान्तर्गत वनविभाग के पक्ष में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अविलम्ब नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा संलग्न सूचीनुसार प्रकरणवार/खण्डवार आवंटित धनराशि का भुगतान वनविभाग के पक्ष में तत्काल न किये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं को विलम्ब हेतु उत्तरदायी माना जायेगा तथा आवंटित धनराशि का भुगतान वनविभाग को विलम्ब से किये जाने के फलस्वरूप यदि वनविभाग द्वारा सम्बन्धित प्रकरणों में एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा पथ वृक्षारोपण की देय धनराशि के भुगतान की माँग संशोधित दरों अर्थात् बढ़ी हुई दरों के आधार पर की जाती है तो संशोधित वृद्धि हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्णतः उत्तरदायी माने जायेंगे।

(3) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा खण्डवार आवंटन से अधिक का व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा तथा संलग्न सूची में सम्मिलित मार्गों के स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा पथ वृक्षारोपण आदि हेतु पूर्व मानकों के अनुसार यदि वित्तीय प्राविधान सम्मिलित हो तो मूल आगणन में एन0पी0वी0 आदि हेतु प्राविधानित धनराशि पूर्णतः बचत की जायेगी इसे अन्यत्र मदों में व्यय नहीं किया जायेगा अन्यथा वित्तीय अनियमितता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता स्वयं ही उत्तरदायी माने जायेंगे।

(4) यदि संलग्न सूची में वर्णित प्रकरणों में एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण भुगतान तथा पथ वृक्षारोपण भुगतान आदि हेतु आवंटित धनराशि वनविभाग के पक्ष में पूर्व में जमा की जा चुकी हो तो सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा सम्बन्धित प्रकरणों में पुर्नभुगतान, डुप्लीकेट भुगतान, नियमविरुद्ध भुगतान किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा तथा इस कार्यालय द्वारा मार्गवार/प्रकरणवार आवंटित धनराशि सम्पूर्ण विवरण सहित एक सप्ताह के अन्तर्गत इस कार्यालय को तत्काल वापस कर दी जाय, ताकि यह धनराशि अन्य प्रकरणों/खण्डों को आवंटित की जा सके।

(5) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैंडर विषयक नियमों का भी अनुपालन कर लिया जायेगा।

(6) उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 में निहित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-पूँजीगत-337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-04 एन0पी0वी0 का भुगतान-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्न: मार्गवार आवंटन सूची (4 पृष्ठ)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कोलागढ़ देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त नियन्त्रक, कार्या. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. उत्तराखण्ड। साख-सीमा जारी करने हेतु।
5. अधीक्षण अभियन्ता, ..... वॉ/वर्ल्ड/ए0डी0बी0 वृत्त लोक निर्माण विभाग .....।
6. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर- I/II कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून।
7. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई/निर्माण/प्रांतीय/ए0डी0बी0 (आपदा)/वर्ल्ड बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग ..... को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार समयबद्ध एवं नियमानुसार तात्कालिक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।
- 8- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, नियोजन वर्ग- III। कार्या. प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि. देहरादून को सूचनार्थ एवं संकलन की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न: मार्गवार आवंटन सूची (4 पृष्ठ)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

18-5-2018

1-5  
Upload करे

18-5-18 (देवेन्द्र शाह)  
अभियन्ता

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)



पत्र संख्या 91 /22 बजट (एन0पी0वी0)/2018-19

दिनांक 17/05/2018 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में वनभूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, पथ वृक्षारोपण आदि की देय धनराशि के भुगतान हेतु आवंटन।

अनुदान संख्या- 22, लेखाशीर्षक 505404337030424 (पूँजीगत)

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	मार्ग/परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हे०)	खण्ड का नाम	जनपद का नाम	पत्र का संदर्भ, जिसके द्वारा धनावंटन की माँग सूचित कराई गई है।	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			
						एन0पी0वी0 की देय धनराशि	क्षति वृक्षारोपण की देय धनराशि	पथ वृक्षारोपण/रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण तथा अन्य मदों की देय धनराशि	योग (का. 7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जनपद देहरादून के अन्तर्गत सारणी मोटर मार्ग का निर्माण।	2.7000	अ0ख0 चकराता	देहरादून	मुख्य अभियन्ता, क्ष.का.लो.नि.वि. देहरादून का पत्र संख्या 349/11 बजट-स्तर-1 (क्ष.का.)/2017 दि० 08.02.2018	1773900	1367993		3141893
	योग, अस्थाई खण्ड चकराता					1773900	1367993	0	3141893
2	जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत डुण्डा-देवीघार से खट्टूखाल मोटर मार्ग का निर्माण।	2.6895	प्रा0ख0 उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	कार्या. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि० देहरादून का पत्र संख्या 164/01(17) भू०अ०नि०-111/18 दि० 19.03.2018	2272628	205205	5020323	7498156
	योग, प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी					2272628	205205	5020323	7498156
3	जनपद टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्वालीसौड़ के ग्राम सिरा मोटर मार्ग का निर्माण।	0.9520	नि०ख० उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	अधिसासी अभियन्ता, नि०ख० लो०नि०वि० उत्तरकाशी का पत्र संख्या 193/3 एल.ए. दि० 14.02.2018	625464		516587	1142051
4	जनपद उत्तरकाशी के मल्ली बघाण गांव मोटर मार्ग के थौला से माड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण।	8.3400	नि०ख० उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	अधिसासी अभियन्ता, नि०ख० लो०नि०वि० उत्तरकाशी का पत्र संख्या 303/3 एल.ए. दि० 13.03.2018	7052370	4228618		11280988
	योग, निर्माण खण्ड बड़कोट					7677834	4228618	516587	12423039
5	जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कोरीगाड़ में पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण। (वल्ड बैंक से सम्बन्धित)	0.1480	प्रा०ख० भट्वाड़ी	उत्तरकाशी	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त लो०नि०वि० उत्तरकाशी का पत्र संख्या 504/12 वनभूमि-06/18 दि० 18.04.2018	97236		379843	477079
	योग, प्रान्तीय खण्ड भट्वाड़ी					97236	0	379843	477079
6	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमनोत्री के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 से पौलगांव तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण।	0.2800	नि०ख० बड़कोट	उत्तरकाशी	अधिसासी अभियन्ता, नि०ख० लो०नि०वि० बड़कोट का पत्र संख्या 398/19 ए दि० 14.03.2018	183960	190000		373960
7	जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकासखण्ड नौगांव बड़कोट तिलाड़ी हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन करना व डामरीकरण का कार्य।	0.5530	नि०ख० बड़कोट	उत्तरकाशी	अधिसासी अभियन्ता, नि०ख० लो०नि०वि० बड़कोट का पत्र संख्या 397/19 ए दि० 14.03.2018	363321	560000		923321
	योग, निर्माण खण्ड बड़कोट					547281	750000	0	1297281
8	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में मोरी से ओडाटा मोटर मार्ग का निर्माण।	3.5540	नि०ख० पुरौला	उत्तरकाशी	अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त लो०नि०वि० उत्तरकाशी का पत्र संख्या 3283/12 वनभूमि-06/17 दि० 16.08.2017	3003130	1800684	7118050	11921864
9	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में आराकोट कलीच थुनारा डामटी (अवशेष भाग का विस्तार 5 किमी०) मोटर मार्ग का निर्माण।	4.5375	नि०ख० पुरौला	उत्तरकाशी	अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त लो०नि०वि० उत्तरकाशी का पत्र संख्या 3812/12 वनभूमि-06दि० 14.09.2017	4260713	2089990	1726560	8077263
10	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग का निर्माण।	5.6325	नि०ख० पुरौला	उत्तरकाशी	अधिसासी अभियन्ता, नि०ख० लो०नि०वि० पुरौला का पत्र संख्या 1321/वनभूमि दि० 04.09.2017	4759463	2853785	6136807	13750055
	योग, निर्माण खण्ड पुरौला					12023306	6744459	14981417	33749182



